संख्या-208/xx(2)/252/पुलिस /2004

प्रेषक,

दीपम सेठ
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड,शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

ग्रह अनुभाग-2

विषय- उत्तरांचल राज्य में अपराध अनुसंधान विभाग का गठन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक ,प्रशासन के पत्र संख्या-डीजी-चार-68/2001, दिनांक 06 अगस्त 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर-प्रदेश के काड़र विभाजन में प्राप्त पदों तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पदों की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए उत्तराखण्ड राज्य में अपराध अनुसंधान (आपराधिक अन्वेषण) विभाग के ढ़ाँचे का निम्नवत पुर्नगणन किये जाने हेतू सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

क्र0सं0	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत कुल पदों का विवरण	पदों का विवरण		
			मुख्यालय हेतू	खण्ड देहरादून	खण्ड हल्दवानी
1.	अपर पुलिस महानिदेशक	01	01	-	-
2.	पुलिस उप महानिरीक्षक	01	-	01	01
3.	अपर पुलिस अधीक्षक	02	-	01	01
4.	पुलिस उपाधीक्षक	03	01	01	01
5.	संयुक्त निर्देशक	01	01	-	-
6.	अभियोजन अधिकारी	04	-	02	02
7.	निरीक्षक,ना0पु0 पुलिस	20	01	11	08
8.	उप निरीक्षक,ना0पुलिस	03	01	01	01
9.	हैड0 का0ना0पुलिस	08	02	03	03
10.	कांस्टेबल,ना0पुलिस	43	05	20	18
11.	कांस्टेबल,स0पुलिस	05	01	02	02
12.	कांस्टेबल चालक	09	01	04	04
13.	कांस्टेबल डीवी रनर	03	01	01	01
14.	वाटर मैन फावर	01	01	-	-
15.	अर्दली प्यून	03	01	01	01
16.	पी0ओ0पी0	07	03	02	02
17.	स्वीपर	02	-	01	01
18.	निरीक्षक (एम)- गोपनीय सहायक	01	01	-	-
19.	निरीक्षक (एम)- उनुभाग अधिकारी	01	01	-	-
20.	उप निरीक्षक (एम) स्टेनो	09	03	03	03
21.	उप निरीक्षक (एम) लिपिक	10	04	03	03
22.	ए0एस0आई0(एम) लिपिक	15	05	05	05
23.	कांस्टेबल (एम)	03	01	01	01
	योग	155	36	62	57

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 514NP/XXVII(6)/09 दिनांक 25.01.2010में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय
दीपम सेठ
अपर सचिव

<u>संख्या- (1)/(2)/252/पुलिस /2004, तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि:-निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित :-

1- सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड,देहरादून।
2- महालेखाकार ,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3- सचिव,वित्त अनुभाग -5,उत्तराखण्ड शासन।
4- संयुक्त सचिव,क्रार्मिक विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
5- मुख्य ,कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,समस्त जनपद,उत्तराखण्ड ।
6- निर्देशक,एन.आई.सी,सचिवालय देहरादून।
7- निजी सचिव मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
8- निजी सचिव,प्रमुख सचिव,ग्रह विभाग उत्तराखण्ड़ शासन ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

आदेश

उत्तरांचल राज्य के अपराध अनुसंधान के अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग /भ्रष्टाचार निवारण संगठन /अर्थ विषयक अनुसंधान विभाग / अनुसंधान सहकारिता प्रकोष्ठ से सम्बन्धित समस्त जाँचो/ विवेचनाओं को सम्पादित किये जाने हेतू अपराध अनुसंधान विभाग के 2 सेक्टर कार्यालय तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न प्रकार किये जाते है –

1- गढवाल सेक्टर ,पौड़ी	-गढवाल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों से सम्बन्धित प्रकरण।
2- कुमांयु सेक्टर ,हल्दवानी	-कुमांयु क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों से सम्बन्धित प्रकरण।

उक्त दोनों सेक्टर कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग ,मुख्यालय ,उत्तराखण्ड के सीधे नियन्त्रण में कार्य करेंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाग लागू होगें।

पत्रांक डी0जी0-चार-4/ 2001
दिनांक जनवरी 30,2001

(**अशोक कान्त शरण**)
पुलिस महानिर्दशक,
उत्तराखण्ड देहरादून

प्रतिलिपि –

1. पुलिस महानिरीक्षक ,सीआईडी/अभि0,मुख्यालय उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि अपराध अनुसंधान विभाग के भ्रष्टाचार अनुसंधान संगठन शाखा हल्दवानी एवं अनुसंधान सहकारिता इकाई काठगोदाम में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कुमांयु सेक्टर ,हल्दवानी में स्थापित अपराध अनुसंधान सेक्टर कार्यालय,हल्दवानी में नियुक्त करने तथा भ्रष्टाचार निवारण संगठन शाखा पौड़ी एवं अनुसंधान सहकारिता इकाई देहरादून में नियुक्त चल रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को गढ़वाल सेक्टर पौड़ी में स्थापित अपराध अनुसंधान सेक्टर कार्यालय में नियुक्त करने के आदेश निर्गत करें ।
2. पुलिस महानिरीक्षक,मुख्यालय उत्तरांचल।
3. पुलिस महानिदेशक के सहायक, पुलिस मुख्यालय उत्तरांचल,देहरादून।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक,गढ़वाल परिक्षेत्र/कुमांयू परिक्षेत्र।
5. समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल देहरादून ।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ,प्रभारी जनपद उत्तरांचल।
7. प्रभारी अधिकारी अनुंसंधान सहकारिता प्रकोष्ट काठगोदाम,देहरादून।
8. समस्त प्रभारी अनुसंधान,मुख्यालय ,उत्तरांचल।